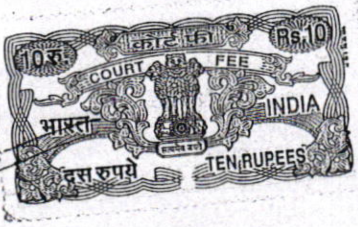

-1-

(128)

न्यायालय राजस्व मंण्डल म.प्र ग्वलियर

प्र.क / /विविध विविध- 9193- I- 16

1. कैलाश चन्द्र उर्फ कैलाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा आयु 36 वर्ष जाति ब्राहमण व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम कुटरावली तेहसील कैलारस जिला मुरेना म.प्र।
2. अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा आयु 37 वर्ष जाति ब्राहमण व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम कुटरावली तहसील कैलारस जिला मुरैना म.प्र। —आवेदकगण

बनाम

1. हेमन्त उपाध्याय पुत्र श्री मुन्नलाल उपाध्याय निवासी नई बस्ती कॉचमील बिरलानगर ग्वालियर म.प्र।

अनावेदकगण

2. महिला कम्मोदा विधवा पत्नी श्री रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी तिलोखांरि तेहसील जौरा जिला मुरैरा म.प्र। —फ़ारक अनावेदक

श्री पी. के. तिवारी (अ.) द्वारा आज दि. 3-10-16 को प्रस्तुत

3-10-16

3-10-16

150 / 3-10-16

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी एवं सहपठित धारा 32 मध्य प्रदेश भू.रा.सहितां ।

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरंण <u>कमांक 1055/III/2000 रिव्यू</u> में <u>दिनांक 19.09.2016</u> को अंतिम आदेश पारित कर रिव्यू प्रकरण स्वीकार किया गया है,
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आदेश में निम्न टंकण त्रुटियां हो गयीं है।
   - i- यह कि पेरा कमांक 3 में दूसरी लाईन में 6 बीधा के बाद 8 बिस्वा अंकित हो गया है,जो कि <u>16 विस्वा</u> है,
   - ii- यह कि पेरा कमांक 6 में चोथी लाईन का प्रथम शब्द कुटवाली अंकित हो गया है जो कि <u>कुटरावली</u> है।
   - iii- यह कि आदेश के अंतिम सहायता वाले पेराग्राफ में चौथी लाईन में +अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.04.1994 अंकित हो गया है, जोकि **31.10.1994** है।
3. यह कि उपरोक्त त्रुटि टंकण त्रुटि है जिसको संशोधित किये जाने से प्रकरण कें गुण दोशो पर कोई प्रभाव नही पडता इसलिये उपरोक्त संशोधन किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9193–एक / 16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. एवं सहपठित धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मान0 न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक रिव्यु 1055–तीन / 2000 में पारित आदेश दिनांक 19.9.16 में आदेश के पैरा कमांक 3 में दूसरी लाईन में 6 बीघा के बाद 8 विस्वा अंकित हो गया है जो कि वास्तविक 16 विस्वा है। यह कि पैरा कमांक –6 में चौथी लाईन में कुटवाली शब्द अंकित हो गया है जबकि वह कुटरावली है। उनके द्वारा आगे निवेदन किया है कि अंतिम सहायता वाले पैराग्राफ में चोथी लाईन में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.4.94 अंकित हो गया है जबकि वह 31.10.94 है। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा कमांक 3 में दूसरी लाईन में 6 बीघा के बाद 8 विस्वा के स्थान पर 16 विस्वा पढ़ा जावे, इसी प्रकार पेरा कमांक–6 में चौथी लाईन में कुटवाली शब्द के स्थान पर कुटरावली पढ़ा जावे। इसी प्रकार सहायता वाले पैराग्राफ में चोथी लाईन में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.4.94 के स्थान पर 31.10.94 पढ़ जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	